विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021

क्या आप 1 जनवरी 2021 को या उससे पहले 18 साल के हो चुके हैं?
फिर भी आप मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं?

कोई मतदाता न छूटे

फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2020

विशेष कैम्प दिनांक
12 दिसम्बर (शनिवार), 13 दिसम्बर (रविवार)
19 दिसम्बर (शनिवार), 20 दिसम्बर (रविवार)

कौन आवेदन कर सकता है

- भारतीय नागरिक।
- 1 जनवरी 2021 को या उसके पहले 18 साल आयु होने पर।
- मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी।
- ऐसे व्यक्ति जो विकृतचित हैं एवं जिनके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, को छोड़कर या निर्वाचनों से संबंधित विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण या अपराधों के कारण मतदान से निरर्हित घोषित नहीं किये गए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।

ऑफ-लाइन कैसे आवेदन करें

- सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास उपलब्ध हैं या फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की **अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2020** तक है।
- फार्म BLO के पास जमा किए जा सकते हैं।
- मतदाता सुविधा केन्द्र – तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।

ऑन-लाइन कैसे आवेदन करें

- वोटर पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in पर अपनी लॉगइन आई.डी. बनाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
- Apply On-line पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाएं तथा फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड करें।
- यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करके फार्म 8 भरें।
- प्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन फार्म 6A में आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता विशेष रूप से ध्यान रखें

- 25 नवम्बर 2020 की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in, www.eci.gov.in पर अथवा BLO के पास देखी जा सकती है ।
- इसके अलावा एक से अधिक स्थानों पर आपका पंजीयन है तो उसे फार्म 7 भरकर हटवाएं।
- अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत अथवा स्थानांतरित है तो उनके संबंध में बीएलओ को बताएं।

कौन से फार्म का इस्तेमाल किया जाना है

फार्म - 6	फार्म - 6A	फार्म - 7	फार्म - 8	फार्म - 8A
नए पंजीकरण के लिये या पते का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए।	भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए।	निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिये या नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति करने के लिए।	निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए।	एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दशा में।

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करें **1950**

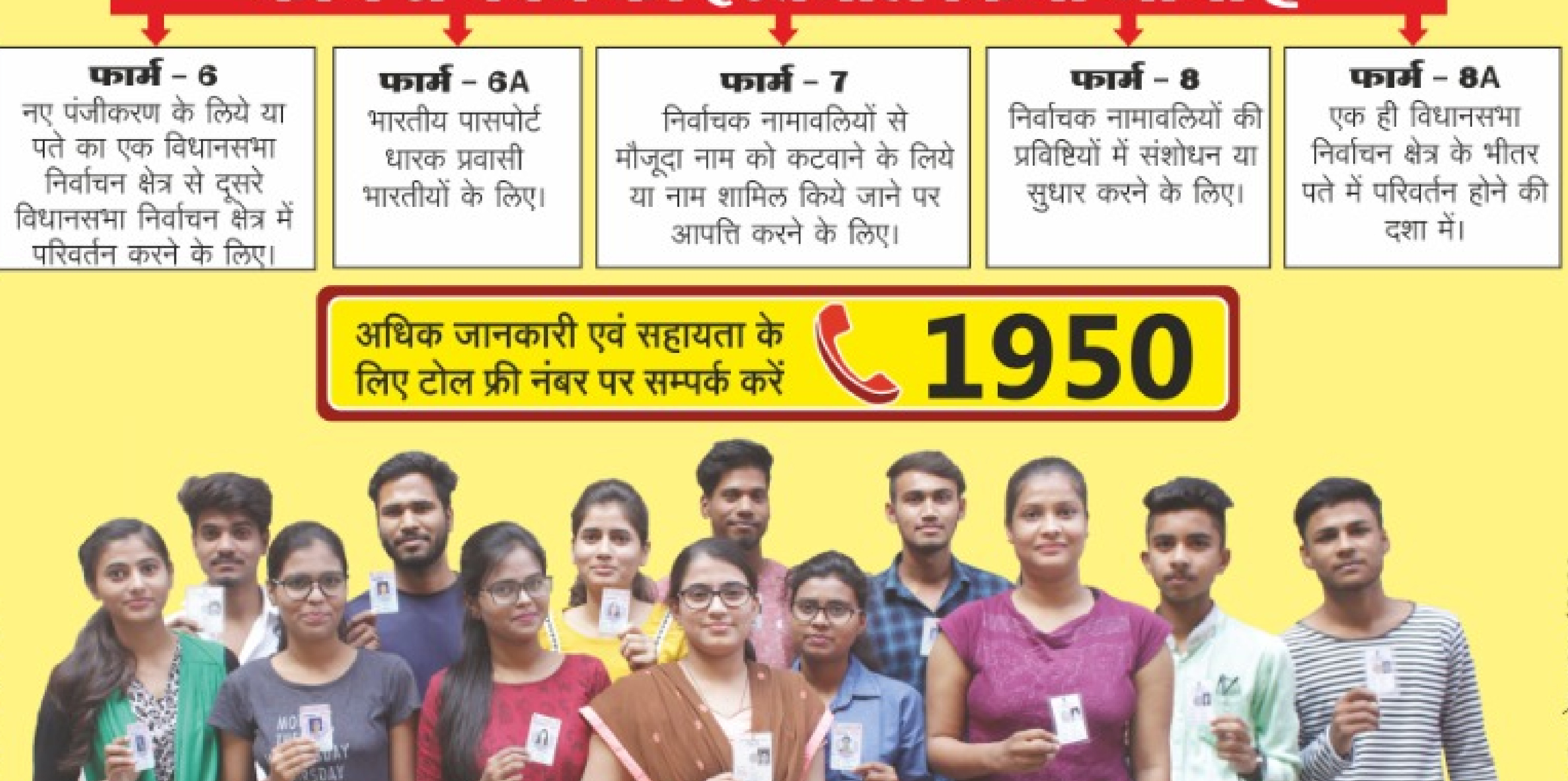

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2020

हमेशा मास्क लगाएं | हाथों को साफ रखें | छह फिट की दूरी रखें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी